



बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

रैयत एवं गैर-रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
(बिहार राज्य फसल सहायता योजना अन्तर्गत रबी 2024-25 मौसम हेतु मान्य)

मैं किसान/किसान परिवार पिता/पति का नाम
..... ग्राम ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद
..... प्रखंड जिला राज्य का निवासी हूँ एवं घोषणा करता /
करती हूँ कि मैं वास्तविक खेतिहर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं निम्न रैयती तथा
गैर-रैयती भूमि पर मैंने वर्ष 2024-25 के रबी मौसम में फसल/फसलों की बुआई की है :-

बुआई की गई फसल	भूमि	बुआई का रकबा (डिसमिल में)	बुआई के रकबा की विवरणी				
			थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	जमाबन्दी संख्या	चौहद्दी
	रैयती						
	गैर-रैयती						
	रैयती						
	गैर-रैयती						
	रैयती						
	गैर-रैयती						
	रैयती						
	गैर-रैयती						
	रैयती						
	गैर-रैयती						
कुल रकबा (डिसमिल में)							

वास्तविक खेतिहर होने के संबंध में स्वतंत्र गवाह के रूप में अगल-बगल के दो किसान का विवरण :-

किसान का नाम	पता	मोबाइल संख्या	हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरणी सही है। साथ ही साथ अंकित विवरणी गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी पात्रता रद्द की दी जाएगी एवं मुझे प्राप्त सहायता राशि विभाग को मेरे द्वारा ससमय वापस किया जाएगा।

दिनांक :-

किसान का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

कृषि समन्वयक एवं जन-प्रतिनिधि (मुखिया/सरपंच/वार्ड सदस्य) की अनुशंसा :-

आवेदक द्वारा दी गई उपरोक्त विवरणी को सत्यापित करते हुए संबंधित कृषक को वास्तविक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाता है।

कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर

कृषि समन्वयक का नाम -

मोबाइल नं० -

मुखिया/सरपंच/वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर एवं मोहर

मुखिया/सरपंच/वार्ड सदस्य का नाम -

मोबाइल नं० -